

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 महाजन,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक-

विषय:- सेवा निवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में ।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह सूचित करना है कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत जिला परिवहन कार्यालयों में लिपिक के स्वीकृत पदबल के विरुद्ध कार्यरत लिपिक की संख्या में लगातार कमी होने के फलस्वरूप सरकारी कार्यों के ससमय निष्पादन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

2. उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक की नई नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में अधियाचना प्रेषित की गई है, तथापि प्रक्रियात्मक कार्रवाई में कुछ विलंब की संभावना है ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2804 दिनांक-29.03.2010 के आलोक में जिला परिवहन कार्यालयों में लिपिक के स्वीकृत पदबल के अनुरूप आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर विभाग द्वारा नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है । परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी यदि स्वच्छ छवि के उपलब्ध हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाय ।

अतः अनुरोध है कि संकल्प की कंडिका-5(क) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में चयन की प्रक्रिया अपनाकर सुयोग्य, कर्मठ एवं दक्ष तथा आरोप मुक्त सेवा निवृत्त कर्मियों की अनुशंसा परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि परिवहन विभाग के स्तर से संविदा के आधार पर आरक्षण प्रतिशत का अनुपात तथा आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए कर्मियों को समेकित रूप से नियुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदित किया जा सके ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(आर0 के0 महाजन)

ज्ञापांक-

3946 / पटना, दिनांक- 25/9/2012

प्रतिलिपि:- 1. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. I.T Manager परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ NIC को विभाग के वेबसाइट पर upload करने के लिए प्रेषित ।

25/9/12
(आर0 के0 महाजन)

[Type text]